FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला ....चूरू......... थाना.......प्रधान आरक्षी केंद्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर......वर्ष 2023......
   प्र.इ.रि.सं......158/2023........ दिनांक......20/6/2023........................
2. (I) अधिनियम...भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा...7......
   (II) अधिनियम.........................–....................... धारा..................–.....................
   (III) अधिनियम.........................–....................... धारा..................–.....................
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–...
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....311............समय.........3:40 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन................08.12.2023....................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....08.12.2023.........समय.....12.10पीएम
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– दक्षिण दूरी करीब 140 किलोमीटर।
   (ब) पता:– खाटुश्याम जी जिला सीकर
   बीटसंख्या.....................जयरामदेही सं..
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.......जिला ......
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री बोदुराम
   (ब) पिता/पति का नाम :– श्री चोथमल सैनी
   (स) जन्म तिथि/आयु वर्ष :– 50 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि......जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय :– ....
   (ल) पता ... .मु.पो. मंढा(मदनी) तह0 दातारामगढ जिला सीकर ....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   (1) श्री दिनेश कुमार चान्दा कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका खाटुश्याम जी जिला सीकर।

(हस्ताक्षर)

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई विलम्ब नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....25 लाख रूपये रिश्वत की मांग..................
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामे,

श्रीमान अतरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,
भ्रस्टाचार निरोधक ब्यूरो चुरू(राज0)

विषयः– नगर पालिका खाटूश्यामजी के JEN दिनेश कुमार चांदा व विशाल यादव EO को रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथों पकडवाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मै श्री बोदूराम सैनी S/0 श्री चोथमल नि. मंढा(मदनी) तह0 दातारामगढ जिला सीकर(राज.) का निवासी हूँ। मेरी श्री कृष्णा कोलोनी राज. बा.उ.प्रा.वि. के सामने खाटुश्यामजी में रजिस्ट्री शुदा जमीन 777 वर्ग गज हैं। जो मैने गिरधारी मीणा व किरण देवी से कय करके रजिस्ट्री मेरे नाम करवा ली हैं। उक्त जमीन का पट्टा नगर पालिका से लेने के लिए मैने प्रशासन शहरो के संग अभियान में सभी कागजात के साथ फाइल नगर पालिका में जमा करीब एक वर्ष पूर्व करा दी थी उसके बाद मैने ऑफिस लेवल पर जो भी अन्य कागजात की पूर्ति भी समय–समय पर पूर्ण कर दी मै दिन में आज सुबह नगर पालिका खाटुश्यामजी गया और मेरी फाइल के लिए मालुमात की तो मुझे दिनेश कुमार जी JEN साहब मिले और उन्होने कहा कि सैनी जी आप ऐसे तो सालभर से चक्कर काट रहे हो और आगे भी ऐसे ही चक्कर काटते रहना। आप पट्टा मुझे नही लगता है कि आप बनवाना चाहते हो तब मैने JEN साहब को कहा कि साहब मै तो चक्कर काटते–काटते थक गया सारे कागजात की पूर्ति भी कर दी अब आप ही बताओ क्या कहना हैं व कैसे करना हैं। और मेरा यह काम पूरा कर पट्टा बनवाओ तब JEN साहब ने कहा कि आपको पता है आपकी जमीन का पट्टा बनते ही यह जमीन एक–सवा करोड रूपये के करीब हो जायेगी जो अभी कुछ भी कीमत की नही हैं। और अगर हमारी तरफ से एक objection लग गया तो उसकी काट होना ही मुश्किल हो जायेगा। तब मैने JEN साहब को कहा कि साहब ऐसे तो मत कर देना आप कोई उचित रास्ता निकालो और मेरा काम कर दो। तब JEN साहब ने कहा कि क्या खर्चा कर दोगें तो मैने कहा कि आप ही बता दो तब JEN साहब ने कहा कि प्लॉट की वर्तमान कीमत के करीब 25% मुझे व EO साहब को दो तो यह पट्टा बन सकता हैं। मैने कहा कि साहब 25% से तो करीब 25 लाख रू0 हो जाते हैं यह तो बहुत ज्यादा हो जायेगें कुछ रियायत करो मैने तो यह जमीन पहले से ही महंगी खरीदी हैं। तब JEN साहब ने कहा कि पट्टा बनते ही इसकी Value भी तो कोडियो से करोडो हो जायेगी फिर भी जो भी थोडी बहुत गुंजाइस होगी मै EO साहब से और बात करके आपको बता दूंगा वैसे मेरी EO साहब से आपके मैटर में पहले से ही बात हो रखी हैं और हम आप से ही नही सीाी से पट्टा बनाने में वर्तमान पट्टा सुदा Value के हिसाब से ही 25%रू. लेते हैं और आपसे कोई ज्यादा नही ले रहे हैं। आपसे भी उसी हिसाब से ही ले रहे हैं। मै मेरे जायज व खातेदारी जमीन के प्लॉट के पट्टा बनाने के लिए JEN व EO साहब को नाजायज रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। JEN दिनेश कुमार जी व EO विशाल यादव को रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें। मेरी JEN व EO साहब से कोई व्यक्तिगत रंजिश व दुश्मनी नही है और मेरे व JEN साहब व EO साहब से कोई बकाया व उधारी नही हैं। रिपोर्ट करता हूँ कि आवश्यक कार्यवाई करे व मुझे न्याय दिलावें।

दिनांक 08–012–2022

भवदीय
एसडी बोदूराम
बादूराम सैनी पुत्र श्री चोथमल सैनी
मु. पो. मंढा(मदनी) त. दातारामगढ
जि. सीकर(राज.)
Mob 9414036647

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 08.12.2022 को सुबह परिवादी श्री बोदुराम पुत्र श्री चोथमल सैनी जाति सैनी निवासी मु.पो. मंढा(मदनी) तह0 दातारामगढ जिला सीकर ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै नगर पालिका खाटुश्यामजी जिला सीकर से मेरी भूमि पट्टा जारी करवा रहा हूँ। पट्टा जारी करने की एवज में नगर पालिका का जेईएन दिनेश कुमार व ईओ विशाल यादव मेरे से 25 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे है। मै उनको रिश्वत लेते हुऐ पकउवाना चाहता हूँ। जिस पर परिवादी को चौकी पर आकर रिपोर्ट पेश करने की कहने पर परिवादी ने कहा कि मै चूरू तो नही आ सकता लेकिन सीकर आ सकता हूँ जिस पर परिवादी को हिदायत की गई की आप मुझे सीकर में मिलना मै सीकर पंहुच रहा हूँ। जिस पर मुख्यालय के निर्देशानुसार मै उप अधीक्षक पुलिस मय श्रवण कुमार कानि के चूरू से रवाना होकर 12.10 पीएम पर सीकर पहुचा, परिवादी निर्देशानुसार उपस्थित मिला जिसने बताया कि कृष्णा कोलोनी खाटुश्यामजी में मेरी रजिस्ट्री शुदा 777 वर्ग गज भूमि हैं। उक्त भूमि का पट्टा लेने के लिए मैने एक वर्ष पूर्व प्रशासन शहरो के संग अभियान में आवेदन नगर पालिका खाटुश्यामजी में किया था। उसके बाद मैने ऑफिस लेवल पर अन्य कमियों की पूर्ति कर दी थी। मै आज सुबह खाटुश्यामजी गया और दिनेश कुमार जी जेईएन साहब से मिला तो उन्होने कहा कि सैनी जी आप सालभर से चक्कर लगा रहे हो और आगे भी ऐसे ही चक्कर लगाते रहना। मेरे को लगता है कि आप पट्टा बनवाना नही चाहते हो जिस पर मैने जेईएन साहब को कहा कि आप ही बताओ मेरे को क्या करना हैं। जेईएन साहब ने मेरे को कहा कि आपको पता है कि आपकी जमीन का पट्टा बनते ही यह जमीन एक-सवा करोड रूपये की हो जायेगी। हमारी तरफ से एक भी ऑब्जेक्शन लग गया तो उसकी काट करना मुश्किल हो जायेगा। तब मैने जेईएन साहब दिनेश जी को कहा कि आप कोई उचित रास्ता बताओ तो जेईएन साहब ने कहा कि जमीन की कीमत के 25 प्रतिशत मुझे व ईओ साहब को देते हो तो यह पट्टा बन सकता हैं। मैने कहा कि 25 प्रतिशत के हिसाब से तो 25 लाख रूपये हो जायेगें जो बहुत ज्यादा हैं। तब जेईएन साहब ने कहा कि आपसे कोई अलग नही ले रहें है जो भी पट्टा बनवाता है उन सभी से ले रहे हैं। मै मेरे जायज काम के लिए जेईएन दिनेश कुमार व ईओ विशाल यादव को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ मेरी जेईएन दिनेश कुमार व ईओ विशाल यादव से कोई रंजिश नही है तथा ना ही हमारे बीच में कोई उधारी का लेन-देन बकाया हैं। उपरोक्त आश्य की रिपोर्ट परिवादी ने पेश की जिस पर परिवादी ने अपने हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाने पर परिवादी बोदुराम को आरोपीगण से रिश्वत मांग वार्ता करने के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया कि श्री दिनेश जी जेईएन आज मुझे नगर पालिका खाटुश्यामजी में मिल सकते है जिसके पास कार्यालय में जाकर मै रिश्वत के सम्बधं में वार्ता कर सकता हूँ। इस पर परिवादी श्री बोदुराम व हाजिर कानि श्रवण कुमार का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी को टेप रिकॉर्ड चालु व बंद करने की विधि समझा कर कानि श्रवण को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत की गई कि खाटुश्यामजी पंहुच कर टेप रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द कर वार्ता के लिए रवाना करे। बाद हिदायत परिवादी व कानि श्रवण कुमार को परिवादी के निजी वाहन से खाटुश्यामजी के लिए रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस रवाना होकर चूरू पंहुचा।

वक्त 9.45 पीएम पर कानि श्रवण कुमार हाजिर कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मै व परिवादी बोदुराम सीकर से रवाना होकर खाटुश्यामजी में नगर पालिका से पहले पंहुचे। टेप रिकॉर्डर चालु कर परिवादी बोदुराम को सुपुर्द कर आरोपी से सम्पर्क करने उसके स्वयं के निजी वाहन से नगर पालिका की तरफ रवाना किया। परिवादी नगर पालिका के कार्यालय में गया और करीब एक घण्टे बाद परिवादी मेरे पास वापिस आया व टेप रिकॉर्ड पेश किया जिसको मैने बंद किया। परिवादी बोदुराम ने बताया कि मै नगर पालिका में गया जहां पर मै कनिष्ठ अभियन्ता श्री दिनेश जी से मिला और मेरे पट्टे के बारे में बात की तो उन्होने कहा कि आपकी जो भूमि है वह 70 प्रतिशत चारागाह में आ रही हैं। आपका वैसे तो पट्टा बन नहीं सकता परन्तु हम आपको एक करोड की जगह दे रहे है, आप हमें क्या दोगे तो मैने कहा कि आप ही बता दो क्या देना तो दिनेश जी ने कहा कि एक करोड के 25 प्रतिशत 25 लाख रूपये देने पडेगे तो मैने कहा इतने तो ज्यादा है तो जेईएन साहब ने कहा कि फिर आपका काम नही होगा। तब मैने कहा कि आप मेरा पट्टा तो बनाओ मै आपको 25 लाख रूपये दे दुंगा। तब जेईएन श्री दिनेश जी ने कहा कि आपने

जितनी भूमि का पट्टा चाहा है उतनी भूमि का पट्टा आपको दे देगें। अभी हमारे बाबु का ट्रांसफर हुआ है जो फाईल किसी दुसरे बाबु को चार्ज मे देगा उसके बाद आप सोमवार तक मेरे पास आ जाना आपका पट्टा बना देगें। मैने ईओ विशाल यादव से बात करने की कही तो उन्होने कहा कि ईओ साहब से मै अपने आप बात कर लूगा। हमारे दोनो के बीच हुई उक्त वार्ता को मैने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। जिस पर निर्देशानुसार परिवादी को खाटुश्याम जी में ही छोडकर सोमवार को खाटुश्याम जी में मिलने की हिदायत कर हाजिर आया हूँ। कानि द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर सुरक्षित रखा गया। कानि श्रवण कुमार को हिदायत की गई की आईन्दा सोमवार को पुनः खाटुश्याम जी पंहुच परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को कनिष्ठ अभियन्ता से वार्ता के लिए भेजें।

दिनांक 13.12.2022 को 6.30 एएम पर कानि श्रवण कुमार को दिनांक 08.12.2022 को वार्ता के लिए काम में लिया हुआ टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री बोदुराम से सम्पर्क कर वार्ता करवाने के लिये खाटुश्यामजी जिला सीकर के लिए रवाना किया गया। वक्त 7.00 पीएम पर कानि श्रवण कुमार हाजिर कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मै रवाना होकर खाटुश्यामजी पंहुचा जहां पर परिवादी बोदुराम मुझे उपस्थित मिला जिसकी गाडी में रवाना होकर खाटुश्यामजी में नगर पालिका से पहले पंहुचे। टेप रिकॉर्डर चालु कर परिवादी बोदुराम को सुपुर्द कर आरोपी से सम्पर्क करने उसके स्वयं के निजी वाहन से नगर पालिका की तरफ रवाना किया, मै वहीं पर आस पास मुकीम हो गया। परिवादी नगर पालिका के कार्यालय में गया और करीब आधे घण्टे बाद मेरे पास वापिस आया व टेप रिकॉर्ड पेश किया जिसको मैने बंद किया। परिवादी बोदुराम ने बताया कि मै नगर पालिका में गया जहां पर मै कनिष्ठ अभियन्ता श्री दिनेश जी से मिला और मेरे कार्य के बारे में बात की तो उन्होने कहा कि जिस बाबु का ट्रांसफर हुआ है उसने अभी तक चार्ज दूसरे बाबूजी को दिया नही है। इसलिए आप परसों दिनांक 15.12.2022 को आओ। हमारे दोनो के बीच हुई उक्त वार्ता को मैने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। जिस पर निर्देशानुसार परिवादी को खाटुश्याम जी में ही छोडकर परसो दिनांक 15.12.22 को खाटुश्यामजी में मिलने की हिदायत कर हाजिर आया हूँ। कानि द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर सुरक्षित रखा गया। कानि श्रवण कुमार को हिदायत की गई की आईन्दा दिनांक 15.12.2022 को पुनः खाटुश्याम जी पंहुच परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को कनिष्ठ अभियन्ता से वार्ता के लिए भेजें।

दिनांक 15.12.2022 को वक्त 6.00 एएम पर कानि श्रवण कुमार को दिनांक 08.12.2022 व 13.12.2022 को वार्ता के लिए काम में लिया हुआ टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री बोदुराम से सम्पर्क कर वार्ता करवाने के लिये खाटुश्यामजी जिला सीकर के लिए रवाना किया गया। वक्त 9.00 पीएम पर कानि श्रवण कुमार हाजिर कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मै रवाना होकर खाटुश्यामजी पंहुचा जहां पर परिवादी बोदुराम मुझे उपस्थित मिला जिसकी गाडी में रवाना होकर खाटुश्यामजी में नगर पालिका से पहले पंहुचे। टेप रिकॉर्डर चालु कर परिवादी बोदुराम को सुपुर्द कर आरोपी से सम्पर्क करने उसके स्वयं के निजी वाहन से नगर पालिका की तरफ रवाना किया, मै वहीं पर आस पास मुकीम हो गया। परिवादी नगर पालिका के कार्यालय में गया और वार्ता के बाद मेरे पास वापिस आया व टेप रिकॉर्ड पेश किया जिसको मैने बंद किया। परिवादी बोदुराम ने बताया कि मै नगर पालिका में गया जहां पर मै कनिष्ठ अभियन्ता श्री दिनेश जी से मिला और मेरे कार्य के बारे में बात की तो जेईएन साहब ने मेरी भूमि की वर्तमान स्थिति के बारे में पुछताछ की और कहा कि आपका अगले सप्ताह में काम कर देगें तो मैने कहा कि मै पिछले एक वर्ष से चक्कर लगा रहा हूँ तो जेईएन साहब ने कहा कि अगले सोमवार से शुक्रवार के बीच में आपका पट्टा बना देगें। पहले तो उन्होने मंगलवार को आने का कहा परन्तु बाद में जब मै चलने लगा तो कहा कि आप एक दिन पहले सोमवार को ही आ जाना। हमारे दोनो के बीच हुई उक्त वार्ता को मैने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। जिस पर निर्देशानुसार परिवादी को खाटुश्याम जी में ही छोडकर सोमवार दिनांक 19.12.22 को खाटुश्यामजी में मिलने की हिदायत कर हाजिर आया हूँ।

दिनांक 19.12.2022 को वक्त 8.00 एएम पर कानि श्रवण कुमार को दिनांक 08.12.2022, 13.12.2022 व 15.12.22 को वार्ता के लिए काम में लिया हुआ टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री बोदुराम से सम्पर्क कर वार्ता करवाने के लिये खाटुश्यामजी जिला सीकर के लिए रवाना किया गया। वक्त 6.15 पीएम पर कानि श्रवण कुमार का फोन आया और बताया कि आज परिवादी बोदुराम को जेईएन व ईओ से सम्पर्क करने हेतु नगर पालिका के कार्यालय

में भेजा गया और परिवादी ने वापस आकर बताया कि मै नगर पालिका में गया जहां पर कनिष्ठ अभियन्ता श्री दिनेश जी के बारे में पुछताछ की तो आज कार्यालय में नही आना बताया। उसके बाद मैने व परिवादी ने शाम तक जेईएन का इंतजार किया मगर आज जेईएन नही आने के कारण कोई बात नही हुई है।

दिनांक 20.12.2022 को वक्त 10.00 पीएम पर कानि श्रवण कुमार हाजिर कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर कल जरिये दूरभाष बताई गई बातो को दोहराते हुऐ बताया कि आज परिवादी बोदुराम की गाडी में रवाना होकर खाटुश्यामजी में नगर पालिका से पहले पंहुचे। टेप रिकॉर्डर चालु कर परिवादी बोदुराम को सुपुर्द कर जेईएन से सम्पर्क करने उसके स्वयं के निजी वाहन से नगर पालिका की तरफ रवाना किया, मै वहीं पर आस पास मुकीम हो गया। परिवादी नगर पालिका के कार्यालय में गया और वार्ता के बाद मेरे पास वापिस आया व टेप रिकॉर्ड पेश किया जिसको मैने बंद किया। परिवादी बोदुराम ने बताया कि मै नगर पालिका में गया जहां पर मै कनिष्ठ अभियन्ता श्री दिनेश जी से मिला और मेरे कार्य के बारे में बात की तो जेईएन साहब ने मेरी फाईल मंगवा कर नक्शे वगैरा देखकर मेरे से नक्शें के बारे में पुछताछ की और मेरे को कहा कि आप 15-20 मिनट बैठो उसके बाद जेईएन कस्बे में चला गया तथा काफी इन्तार के बाद आया और मेरे को कहा कि आप शाम को चार बजे आना, कल आपका काम कम्पलीट करवा देगें, शाम को चार बजे बुलाया हैं। हमारे दोनो के बीच हुई उक्त वार्ता को मैने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। शाम को चार बजे टेप रिकॉर्डर चालु कर परिवादी बोदुराम को सुपुर्द कर जेईएन से सम्पर्क करने उसके स्वयं के निजी वाहन से नगर पालिका की तरफ रवाना किया, मै वहीं पर आस पास मुकीम हो गया। परिवादी नगर पालिका के कार्यालय में गया और वार्ता के बाद मेरे पास वापिस आया व टेप रिकॉर्ड पेश किया जिसको मैने बंद किया। परिवादी बोदुराम ने बताया कि मै नगर पालिका में गया जहां पर कनिष्ठ अभियन्ता श्री दिनेश जी नही मिला तो कार्यालय में मौजुद ईओ श्री विशाल यादव से मैने मेरे पटटे के बारे में बात की तो उन्होने मेरे पट्टो के बारे में पुछा तब मैने बताया कि मै दो-तीन दिन पहले जेईएन साहब दिनेश जी से मिला था। उन्होने मेरे को खर्चा-पानी भी बताया था और मैने उनको खर्चे पानी के बारे में यश भी कर दी थी, आप मेरा काम करवाओ तो ईओ विशाल यादव ने कहा कि जेईएन साहब आ जाते है उसके बाद करवाते हैं। मैने उसके बाद जेईएन का इंतजार किया परन्तु जेईएन साहब मेरे को नही मिले। मेरे व ईओ विशाल यादव के बीच हुई उक्त वार्ता को मैने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। जिस पर निर्देशानुसार परिवादी को कल दिनांक 21.12.2022 को कार्यालय चूरू में उपस्थित होने की हिदायत कर खाटुश्यामजी में ही छोडकर कर हाजिर आया हूँ। कानि द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 21.12.2022 को वक्त 2.30 पीएम पर परिवादी श्री बोदुराम हाजिर चौकी आया तथा कानि श्रवण कुमार के द्वारा दिनांक 08.12.2022, 13.12.2022, 15.12.2022, 19.12.22 व दिनांक 20.12.2022 को बताये गये तथ्यों को दोहराया तथा बताया कि कल शाम मैने जेईएन दिनेश कुमार की काफी तलाश की मगर नही मिला। बाद में शाम को पता चला कि दिनेश कुमार जेईएन व उसके दो दलालों को एसीबी सीकर द्वारा रिश्वत लेते पकडा है जिसमें दिनेश कुमार मौके से भाग जाने की जानकारी आई है। रिश्वती मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 08.12.2022, 13.12.2022, 15.12.2022 व दिनांक20.12.2022 की टेप को परिवादी बोदुराम व कानि श्रवण कुमार के समक्ष जरिये कम्प्यूटर सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की दो डीवीडी तैयार कर एक डीवीडी को कपडे की थैली में सील्ड किया जाकर सम्बधित के हस्ताक्षर कर मार्क 'A' अंकित किया गया तथा एक डीवीडी खुली रखी गई, दोनो डीविडियों को जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी बोदुराम को बाद हिदायत रवाना किया गया।

दिनांक 16.05.2023 तक परिवादी श्री बोदूराम से अलग-अलग दिनांकों को जरिये मोबाईल पांच-छः बार वार्ता की गई तथा आज मन् उप अधीक्षक पुलिस दिगर राजकार्य से सीकर जाने पर परिवादी श्री बोदुराम से सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि जेईएन दिनेश कुमार चान्दा के विरूद्ध एसीबी सीकर द्वारा ट्रेप कार्यवाही करने के उपरान्त जेईएन दिनेश कुमार चान्दा नगर पालिका खाटुश्यामजी में नही आया है तथा ईओ विशाल यादव का भी नगर पालिका खाटुश्यामजी से अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रकरण मे अब आगे कार्यवाही करवाया जाना सम्भव नही हैं। परिवादी के द्वारा उक्त तथ्यों के सम्बंध में एक

रिपोर्ट भी पेश की जो शामिल की गई। समय–समय पर की गई कार्यवाही का रनिंग नोट तैयार किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री बोदूराम निवासी मढां(मदनी) तह0 दातारामगढ के नाम से श्रीकृष्णा कोलोनी राज. बा.उ.प्रा.वि. के सामने खाटुश्यामजी में 777 वर्ग गज भूमि रजिस्ट्री शुदा हैं। परिवादी ने उक्त भूमि का पट्टा बनवाने के लिए करीब एक वर्ष पूर्व प्रशासन शहरो के संग अभियान में नगर पालिका खाटुश्यामजी जिला सीकर में आवेदन किया था। परिवादी ने पत्रावली में ऑफिस लेवल पर अन्य कागजात की पूर्ति भी समय–समय पर पूर्ण कर दी थी। आरोपी श्री दिनेश कुमार चान्दा कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका खाटुश्यामजी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ परिवादी श्री बोदूराम से उसकी भूमि का पट्टा जारी होने के बाद भूमि एक करोड की होना मानते हुऐ 25% राशि के हिसाब से 25 लाख रूपये रिश्वत के अपने व ईओ विशाल यादव के लिए मांग की है। दौराने कार्यवाही परिवादी श्री बोदूराम ने बताया कि जेईएन दिनेश कुमार चान्दा के विरूद्व एसीबी सीकर द्वारा ट्रेप कार्यवाही करने के उपरान्त जेईएन दिनेश कुमार चान्दा नगर पालिका खाटुश्यामजी में नही आया है तथा ईओ विशाल यादव का भी नगर पालिका खाटुश्यामजी से अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। प्रकरण मे अब आगे कार्यवाही करवाया जाना सम्भव नही है। श्री दिनेश कुमार चान्दा क0अ0 का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है। उपरोक्त समस्त घटना क्रम में श्री विशाल यादव ईओ नगर पालिका खाटुश्यामजी जिला सीकर की भूमिका भी संदिग्ध है जिसके सम्बधं में नियमित प्रकरण दर्ज होने के बाद दौराने अनुसंधान स्थिति स्पष्ट की जावेगी।

अतः श्री दिनेश कुमार चान्दा कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका खाटुश्याम जी जिला सीकर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(शब्बीर खान)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिनेश कुमार चान्दा, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका खाटुश्यामजी जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 158/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1192-95 दिनांक 20.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संख्या-2, जयपुर।
2. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

20.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।